

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- गम्भीरपुरगम्भीरपुर पुलिस द्वारा अभ्युक्त अपराधी को चोरी की पिकअप व कड़ा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, गैरेस्टर एक्ट से सहित कई संगीन मुकदमें दर्ज ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गिरफ्तारी वांछित अभियुक्तगण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.07.21 को प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर मय हमराह द्वारा बिन्द्राबाजार तिराहा पर मौजूद थे कि मुखबीर खास से सूचना मिली कि दो वाहन चोर चोरी का पिकप लेकर फरिहा के तरफ से आ रहे हैं यदि जल्दी किया जाय तो वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर फरिहा मोड़ पर पकड़े जा सकते हैं इस सूचना पर विश्वास करके तत्काल वाराणसी आजमगढ़ मार्ग फरिहा मोड़ पर हम सभी लोग पहुंचे कुछ देर बाद फरिहा के तरफ से एक चार पहिया वाहन पीकप आते हुए दिखाई दी पास आने पर पीकप को रोका गया तो चालक गाडी को पीछे मोड़कर तेजी से भागना चाहा कि वही पर हमराही कर्मचारी की मदद से पकड़ लिया गया किन्तु चालक सीट पर बैठा व्यक्ति तेजी से गाडी से उतर कर भागने लगा जिसका पीछा किया गया किन्तु अन्धेरे का फायदा उठा कर भाग गया एक व्यक्ति को पीकप सहित पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अखिलेश उर्फ राजेश यादव S/O चन्द्रबली यादव सा० सेमरा थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसके पहने हुए जिन्स के बाये फेटे से एक अदद कड़ा व दाहिने जेब से 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ अभियुक्त का यह कार्य धारा 411/413/414 IPC व 3/25 A.ACT का अपराध पाकर कारण गिरफ्तारी बता कर अभियुक्त को समय 00.25 बजे हिरासत में लिया गया वाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय भेजा गया।

पूछताछ विवरण - कड़ाई से पूछताछ पूछ ताछ करने पर पहले तो हिला हवाली किया किन्तु सख्ती से पूछ ताछ करने पर बताया कि साहब अपने दोस्त के साथ मिलकर वाहनो की चोरी करते हैं और उसी को बेचकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं पकड़े गये पीकप के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि साहब हम लोग इस पिकअप को बछरावा रेलवे स्टेशन रायबरेली से दिनांक 8/9.7.21 को चोरी किये थे तब से लाकर भाडा पर चलाकर पैसा कमा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिये

आपराधिक इतिहास....

- मु.अ.स. 665/13 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना कोतवाली आजमगढ़
- मु.अ.स. 66/14 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना रानी की सराय आजमगढ़
- मु.अ.स. 56/14 धारा 302 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- मु.अ.स. 94/14 धारा 2/ 3(1) यू.पी. गैरेस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण.....

- 1- अखिलेश यादव उर्फ राजेश उर्फ चफनू यादव पुत्र चन्द्रबली यादव निवासी सेमरा थाना निजामाबाद आजमगढ़ हाल पता ग्राम सिधौनी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

बरामदगी.....

- 1- एक अदद पीकप चोरी की
- 2- एक अदद कड़ा 315 बोर 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम.....

- ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर आजमगढ़
- व.उ.नि. नवल किशोर सिंह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- हे० का० इन्द्रपाल यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- का० संतोष मिश्रा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- का० उदयभान गुप्ता थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- का. अनूप रावत थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना-तहबरपुर

लड़की को भगा ले जाना वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना तहबरपुर के एक गाँव के एक व्यक्ति द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री को बृजेश गौड़ पुत्र रामसूरत गौड़ निवासी महुवार थाना तहबरपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 17.07.2021 को समय करीब 4 बजे भोर में शौच के लिए गयी थी पुत्री को भगा ले गया है, इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 निरंकार गिरी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी तहबरपुर को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में दिनांक 26.07.2021 को प्र0नि0 शत्रुघ्न कुमार मय हमराह द्वारा तलाश वांछित अपराधी व पेण्डिंग विवेचना में तिरंगा तिराहा महुवार के पास मामूर थे कि तत्समय सूचना प्राप्त हुई की मु0अ0सं0 54/21 उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद आरोपी बृजेश गौड़ पुत्र रामसूरत गौड़ निवासी महुवार, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ पिड़िता के साथ इस समय सोफीपुर चौराहे पर मौजूद है। कहीं जाने की फिराक में किसी साधन का इन्तजार कर रहा है। यदि जल्दी किया जाय तो दोनो पकड़े जा सकते हैं। मुखबीर की सूचना पर विश्वास करके मुखबीर की सूचना से हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराते हुए बगल में ही स्थित व्यपहता के घर उसको माता पिता को सूचना देते हुए मय मुखबीर मय हमराह कर्मचारीगण को साथ लेकर सोफीपुर चौराहे पर पहुँचे मुखबीर द्वारा दूर से ही इशारा करके बताया कि गोमटी के पास खड़ा लड़का बृजेश है। तथा उसके बगल में जो लड़की खड़ी है वही पिड़िता है। नजदीक पहुँचकर नाम पता तस्दीक करते हुए अभियुक्त बृजेश गौड़ उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 09.30 बजे वाजपता वकायदा गिरफ्तारकिया गया। तथा व्यपहता / पिड़िता को बरामद किया गया। बरामदगी के समय पूर्व में दी गयी सूचना के आधार पर पीड़िता के माता पिता मौके पर आ गये थे। जिन्हे गिरफ्तारी व बरामदगी से अवगत कराया गया। तथा अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के माता माला देवी को उचित माध्यम दिया गया। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- बृजेश गौड़ उम्र 20 वर्ष पुत्र रामसूरत गौड़ ग्राम महुवार थाना तहबरपुर आजमगढ़ से उपरोक्त घटना में शामिल होने के बारे में पूछने पर घटना में शामिल होने के इन्कार कर रहा है। जुर्म के बारे में बताने पर अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता मा0 न्यायालय में देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0 54/21 धारा 363,366,504 भादवि थाना तहबरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- बृजेश गौड़ पुत्र रामसूरत गौड़ निवासी महुवार थाना तहबरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 निरंकार गिरी थाना तहबरपुर, आजमगढ़

2. का0 राहुल कुमार गुप्ता थाना तहबरपुर, आजमगढ़

3. म0का0 संजू थाना तहबरपुर, आजमगढ़